पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक-26688 दिनांक-09/12/2024

ई–निविदा संख्या 17/2024–25
"नीलामी विज्ञप्ति"

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम सूचित किया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में रखी अनुपयोगी सामग्रीयों व रद्दी के विक्रय हेतु सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और नियम, 2013 के तहत नीलामी (ऑक–इन–ऑक्शन) प्रक्रिया आयोजित की जा रही हैं। नीलामी (ऑक–इन–ऑक्शन) प्रक्रिया हेतु आवश्यक सूचनाऐं निम्नानुसार हैं:

कार्य का विवरण	अनुपयोगी सामग्रीयों व रद्दी का विक्रय
अनुमानित आय	50,00,000 रूपये
निविदा शुल्क	2000 रूपये
ई.एम.डी. राशि @ 2 प्रतिशत	1,00,000 रूपये
निविदा जारी करने की तिथि	09.12.2024
निविदा प्रारम्भ तिथि	09.12.2024
निविदा अन्तिम तिथि	18.12.2024
तकनीकी मुल्यांकन की तिथि	19.12.2024
नीलामी (ऑक–इन–ऑक्शन) की तिथि	तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं को पृथक से सूचित की जायेगी

निविदा शुल्क व ई.एम.डी. राशि हेतु डी.डी. कुलसचिव, पंडित दीनदयान उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम से प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त अनुपयोगी सामग्री नीलामी कार्यवाही की शर्तें व जानकारियाँ निम्नानुसार हैः

1. बोली दस्तावेज, नियम व शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://shekhauni.ac.in से देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।
2. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोलियां अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पक्ष में निविदा शुल्क (गैर-वापसी योग्य) की लागत के लिए सीकर में देय होंगे। बोली सुरक्षा का एक अलग डिमांड ड्राफ्ट (वापसी योग्य) कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के पक्ष में होगा।
3. उपरोक्त डिमांड ड्राफ्ट सामान्य प्रशासन अनुभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कार्यालय में भौतिक रूप से ऊपर उल्लेखित अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोलीदाता को बोली दस्तावेज डीडी और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोलियाँ उसी तिथि व समय पर बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएँगी।
5. निर्दिष्ट तिथियों पर अवकाश होने की स्थिति में, उस तिथि को निर्धारित गतिविधियाँ अगले कार्य दिवस पर उसी समय पर की जा सकेंगी।
6. निर्धारित समय व तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. बोलीदाताओं को जीएसटी पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने, आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
9. सम्बन्धित अनुपयोगी सामग्री विश्वविद्यालय भवन में उपलब्ध है इस हेतु विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन अनुभाग में सम्पर्क करें।
10. बोलीकर्त्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर अनुपयोगी सामग्री को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी सम्बन्धित सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई है ऐसा माना जायेगा।
11. कबाड़ को विश्वविद्यालय से उठाने से पूर्व इसका तोल धर्मकांटे पर करवाना होगा तथा उसकी पावती विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी।
12. कबाड़ को विश्वविद्यालय से उठाकर ले जाने का सम्पूर्ण व्यय बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।

प्रयुक्त उत्तर–पुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी के निस्तारण हेतु नीलामी

अध्याय–2

बिड आमंत्रण

इस विश्वविद्यालय की प्रयुक्त उत्तर–पुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी के निस्तारण हेतु बिड आमंत्रित की गई है।

1. बिड विहित बिड प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
2. बिड सूचना राज्य सरकार के अधिकृत एक राज्य स्तरीय एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट website www.shekhauni.ac.in एवं राजस्थान सरकार की अधिकृत वैबसाईट State Public Procurement Portal http://sppp-raj-nic-in पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर पर प्रकाशित कर दी है।
3. बिड प्रपत्र उक्त वैबसाईटों पर उपलब्ध है जो कि इच्छुक फर्मों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
4. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह बिड भरने से पूर्व सम्पूर्ण बिड प्रपत्र का भली भांति अध्ययन कर ले तथा जहां परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाऐं रखी गई है उस स्थान का निरीक्षण कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु बिड प्रस्तुत करने से पूर्व कुलसचिव से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विश्वविद्यालय किसी प्रकार से लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
5. बोलीदाता, पूर्ण रूप से भरी हुई बिड की हार्ड कॉपी मय समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में, बिड सूचना में अंकित स्थान पर कुलसचिव के पास जमा करवाना सुनिश्चित करवायेगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. बोलीदाता द्वारा बिड के साथ अथवा उससे पूर्ण बिड शुल्क एवं अमानत धन राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना बिड निरस्त समझी जायेगी। तथापि, यदि बोलीदाता किसी प्रकार की निमयानुसार छूट चाहता है तो उसे बिड में उसका उल्लेख करते हुये संबंधित प्रपत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त बिड को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।

7. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त बिडों को, बिड सूचना में दर्शाये गये समय एवं दिनांक को विभागीय उपापन समिति तथा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी बिडें खोली जायेगी तथा तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वॉक-इन-ऑक्शन हेतु ईमेल द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा। सफल फर्म एवं एजेन्सी के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष नीलामी प्रक्रिया की जायेगी, जिसमें अधिकतम बोलीदाता फर्म को नीलामी में सफल घोषित किया जाएगा।
8. बोलीदाता द्वारा बिड निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर प्रस्तुत करेगा।
9. विभाग को किसी भी बिड को पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/ निरस्त बिडों के बोलीदाताओं से कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।
10. बिड प्रपत्र में बताया गई शर्तों के अतिरिक्त बोलीदाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
11. बोलीदाता से यह अपेक्षित है कि उसे कार्य की साईट, बिड की शर्तों एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान और/अथवा अन्य प्रभाव के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12. उत्तरपुस्तिकाओं का अनुमानित वजन 2800 क्विन्टल है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

अध्याय–3

प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी की नीलामी शर्तें

निम्नलिखित "अ", "ब" में वर्णित रद्दी, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी की बिक्री के लिए मुहरबंद निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक 18.12.2024 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 19.12.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएँगी।

रद्दी का विवरणः–

''अ" उत्तर–पुस्तिकाओं की कवर पेज एवं संलग्न (न्यू टाईप) प्रश्नपत्र सहित साबूत (पैंकिंग काट कर निकाली जायेगी) रद्दी।

''ब" उत्तर–पुस्तिकाओं के काम में लिया गया पैकिंग मैटेरियाल (यथा–टाट, सूतली. रैगजीन बैग्स, कपडे, कागज के टुकडे आदि) एवं झाड़न की रद्दी (कागज, अखबार, परीक्षा आवेदन पत्र, बुकलेट आदि सहित)

निविदा शर्तेंः–

1. निविदाओं के साथ उत्तर–पुस्तिकाओं की रद्दी, पैकिंग मैटेरियल तथा झााड़न की रद्दी (कागज, अखबार, परीक्षा आवेदन पत्र, बुकलेट आदि सहित) के लिए अमानत राशि रू. 100000/– का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम सामान्य प्रशासन अनुभाग में जमा कराना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. पैंकिग मैटेरियल तथा झााड़न की रद्दी (कागज, अखबार, परीक्षा आवेदन पत्र, बुकलेट आदि सहित) की नीलामी की एक मुश्त न्यूनतम राशि रू. 1,00,000/– निर्धारित है, इससे कम राशि वाली निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्तर–पुस्तिकाओं की रद्दी हेतु निविदा में भाग लेने वाले फर्म को पैंकिग मैटेरियल तथा झाड़न की रद्दी (कागज, अखबार, परीक्षा आवेदन पत्र, बुकलेट आदि सहित) की नीलामी में भी नीलामी प्रभावी रहेगी।
3. उत्तर–पुस्तिकाओं की रद्दी के लिए स्वीकृत निविदाकार की दरें अनुमोदित होने के बाद, लिखित सूचना मिलने के सात दिन में. रू. 250000/– कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। उक्त राशि सात दिन के अन्दर जमा नहीं होने पर क्र.स. (1) में जमा अमानत राशि रू. 100000/– जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसकी पृथक से सूचना / जानकारी देना आवश्यक नहीं होगा।
4. स्वीकृत निविदाकारों को पत्र प्राप्ति के 7 दिन में उत्तरपुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी के लिये 500/– रू. के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध / शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. उत्तरपुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी के लिए स्वीकृत फर्म को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में उठाना अनिवार्य है अन्यथा अमानत व कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. रद्दी व पैकिंग मैटेरियल की श्रेणी/ नमूना संबंधित अनुभाग–सैलर द्वितीय/तृतीय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
7. वर्ग ''अ'' ''ब'' की रद्दी पैकेट काटने, निकालने, भरने का कार्य ठेकेदार स्वयं के मजदूरों से कराएगा, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, तथा बारदाना स्वयं लेकर आयेगा।
8. स्वीकृत निविदाकार के द्वारा रदी खुली नहीं भरी जायेगी इस हेतु बोरों का प्रयोग किया जायेगा। जिसका वजन निम्नानुसार कम किया जायेगा–
   (i) जुट/टाट के फुल साईज के बोरों में रद्दी भरे जाने पर एक किलो प्रति बोरे का वजन एक किलो कम किया जायेगा।
   (ii) छोटे जूट के बोरे का आधा किलो एवं
   (iii) प्लास्टिक बैंग में रद्दी भरे जाने पर प्रति बोरे का दौ सौ ग्राम वजन कम किया जायेगा।
9. निविदादात्ता द्वारा वाहन में मिक्स बोरे नहीं भरे जायेंगे।
10. ट्रैलर व खुले वाहन लाना वर्जित होगा।
11. वाहन में भरी रद्दी प्रातः 7.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक ही तौली जायेगी तथा इसके पूर्व एवं पश्चात् रद्दी तौलना संम्भव नहीं होगा।
12. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि का समायोजन बिक्री के अंतिम दौर में कर लिया जाएगा। धरोहर राशि शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही लौटाई जायेगी।
13. रद्दी उठाने के लिये ट्रक/वाहन विश्वविद्यालय में प्रातः 7:00 बजे के पश्चात् लाना होगा।
14. स्वीकृति निविदाकार को रदी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तौल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निर्देशानुसार धर्म कांटे पर करवाना होगा। आवश्यकता होने पर तौल अन्य कांटों पर ही करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिती में अधिक तौल/वजन वाला काँटा ही मान्य होगा, तथा प्रत्येक बार तौल के आधार पर कुल राशि बिक्री कर, जी.एस.टी. सहित (लागू होने पर) उसी दिन रद्दी उठाने से पूर्व कार्यालय में जमा करानी होगी।
15. संबंधित/स्वीकृत फर्म को लिखित आदेश मिलने के 30 दिन की अवधि में सम्पूर्ण रद्दी उठानी होगी, अन्यथा विलम्ब से उठाई गयी रद्दी पर निम्न दर से जुर्माना राशि वसूल की जायेगी–

(i)	प्रथम 8 दिवस तक के लिए	2.5 प्रतिशत
(ii)	9 से 15 दिवस तक के लिए	5 प्रतिशत
(iii)	16 से 23 दिवस तक के लिए	7.5 प्रतिशत
(iv)	अगले 24 दिवस से 30 आगामी दिवसों तक	10 प्रतिशत

16. **धरोहर राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त की जाएगी एवं वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है:–**
जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया जाता हो।

निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण रद्दी निर्धारित अवधि में नहीं उठाने पर।
प्रदान की गयी रद्दी पूरी मात्रा में नहीं उठाने पर।
निर्देशानुसार समय-समय पर माल नहीं उठाने, तौल में अधिक अंतर एवं अनुचित विवाद की स्थिति में।
कोई भी फर्म एवं वस्तु के लिए एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं करेगी जिस नाम से निविदा क्रय करेगी उसके लिये ही अधिकृत होगी एवं जिस फर्म की निविदा स्वीकृत होगी माल उसी फर्म को उठाना होगा अन्य किसी व्यक्ति/फर्म को सबलैट/बेचा नहीं जा सकता।

17. निविदादाता को उत्तरपुस्तिकाओं की रद्दी राजस्थान प्रान्त से बाहर बेचनी होगी, इसका शपथ पत्र लिखित में रू. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा तथा जहां माल बेचा जाएगा वहाँ का विवरण प्रस्तुत करने पर ही धरोहर राशि लौटाई जायेगी।
18. फर्म विश्वविद्यालय की गोपनीयता किसी प्रकार से भंग नहीं करेगा तथा पेपर मिल द्वारा रद्दी पेपर को मिल में गलाने के सबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। उक्त के अभाव में विश्वविद्यालय प्रशासन आगामी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।
19. कार्यालय/संबंधित अधिकारी द्वारा बुलाने पर निविदादाता को कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा तथा आवश्यक/उचित सलाह की पालना करनी होगी।
20. यदि कुलसचिव निविदाकारों की दरों से संतुष्ट नहीं हो तो उन्हें किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
21. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र सीकर होगा।
22. निविदादाताओं द्वारा बिक्री कर पंजीयन (जी.एस.टी. नं.) एवं पैन (PAN) न. देना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
23. निविदा जमा एवं खोलने के दिन अवकाश दिवस या कार्यालय बन्द होने की स्थिति में उक्त कार्य अगले कार्य दिवस में होंगे।

मुझे क्रम संख्या 1 से 22 तक की समस्त शर्ते स्वीकार है, तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य है। यदि असत्य पाई जाती है तो इसे निरस्त करने तथा जमा अमानत व सिक्युरिटी मनी जब्त करने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को पूर्ण अधिकार देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम
फर्म का नाम
पता
दूरभाष नं.
जी.एस.टी..
पेन नं.

प्रयुक्त उत्तर–पुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

अध्याय–4

पात्रता के मानदण्ड (Eligibility Criteria)

1. कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटरों/साझेदारों/मालिक के अतिरिक्त किसी उन्य व्यक्ति के द्वारा बिड भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति को बिड भरने हेतु निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटरों/साझेदारों/मालिक द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव प्रोपराईटरों/साझेदारों/मालिक द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
2. फर्म विश्वविद्यालय की गोपनीयता किसी प्रकार से भंग नहीं करेगा तथा पेपर मिल द्वारा रद्दी पेपर को मिल में गलाने के सबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. कम्पनी/एजेन्सी/फर्म का प्रारूप बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किन्हीं दो वर्षों में प्रति वर्ष राशि न्यूनतम रू. 30.00 लाख का टर्नओवर रहा हो का स्वप्रमाणित विवरण पत्र संलग्न करावें। (केवल उत्तरपुस्तिकाओं के लिये)
4. बिड मूल्यः– बोलीदाताओं को बिड प्रपत्र के साथ निर्धारित बिड मूल्य आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसके बिना बिड निरस्त समझी जायेगी। तथापि कोई बोलीदाता बिड शर्तों के अनुरूप बिड मूल्य में छूट पाना चाहता है तो उसे बिड में इसका उल्लेख करते हुये समस्त आवश्यक प्रपत्र बिड के साथ संलग्न करने होगें जिसके बिना उसे छूट का पात्र नहीं समझा जायेगा।
5. बोली प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी):– ठेकेदारों/बोलीदाताओं को बोली अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) जिसका विवरण सुरक्षित धन राशि संबंधित अध्याय में दिया गया है के अनुसार आवश्यक रूप से बिड जमा करवाने के समय जमा करवानी है। बोली अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) के अभाव में बिड निरस्त समझी जावेगी। तथापि कोई बोलीदाता बिड शर्तों के अनुरूप सुरक्षित धन राशि में छूट पाना चाहता है तो उसे बिड में से इसका उल्लेख करते हुये समस्त आवश्यक प्रपत्र बिड के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पात्र नहीं समझा जायेगा।
6. बोलीदाता 100 रू. का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में (Annexure-1) में Undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप बिड के साथ लगाये गये प्रपत्रों / दस्तावेजों के सत्य होने का उल्लेख करेगा।

7. बोलीदाला 100 रू. का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-1) में Undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म/केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।
8. बोलीदाता अपने लेटर पेड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-2) में बोना फाईड डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।
9. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
10. कम्पनी/फर्म की स्थिति में सक्षम सत्ता का पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

प्रयुक्त उत्तर–पुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाडन की रद्दी के निस्तारण हेतु निविदा

Annexure-01

घोषणा पत्र

(बोलीदाता व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का 100 रू. नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित)

मैं/हम/(कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता .....
.....) शपथ पूर्व निम्न घोषणा करता / करती हूँ कि

1. बिड क्रमांक ..... मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।
2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/एजेन्सी को केन्द्र/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम :
पद :

कम्पनी/फर्म/एजेन्सी नामः
कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का पूर्ण पताः

Signagture & seal of the firm

Annexure-02

DECLARATION BY TENDERERS

(See Rule 48 (vii))

I/We declare that I am/we are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/Authorised dealers/Sole selling/Marketing agent in the goods/Stores/ equipments for which I/We have tenderd.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, myfour security may be forfeited in full and tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

ई–निविदा संख्या 17/2024–25
"नीलामी (ऑक–इन–ऑक्शन)"

नीलामी सम्बन्धित सामग्रियों का विवरण

विश्वविद्यालय की वर्ष 2021 व 2022 में प्रयोग में ली गयी उत्तर पुस्तिकाओं, पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी का नीलामी (ऑक–इन–ऑक्शन) प्रक्रिया की सहायता निस्तारण किया जाना है जिसका विवरण व न्यूनतम नीलामी बोली दर निम्नानुसार रहेगी:

क्रम संख्या	नीलामी सामग्री का विवरण	अनुमानित/नीलामी की न्यूनतम राशि
1.	प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाऐं	न्यूनतम 15 रूपये प्रति किलोग्राम
2.	पैकिंग मैटेरियल एवं झाड़न की रद्दी	न्यूनतम 1,00,000/– रूपये

निविदादाता द्वारा उक्त न्यूनतम दरों से बोली प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु सहमति

मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम बोली दरों पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ तथा उक्त दरों से बोली प्रक्रिया आरम्भ करने पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

ई–निविदा संख्या 17/2024–25

तकनीकी बिड फॉर्म

1.	फर्म का नाम मय पता, मोबाइल नं. व ई–मैल	
2.	फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रति संलग्न)	
3.	आधार नम्बर (प्रति संलग्न)	
4.	पैन नम्बर (प्रति संलग्न)	
5.	बैंक खाता संख्या (प्रति संलग्न)	
6.	मालिक का नाम	
7.	मालिका का आधार नम्बर व पता (प्रति संलग्न)	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

01. मै/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है ।
02. मै/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते है ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रकिया के दौरान गत तीन वर्षें में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रकिया से निष्कासित नही किया गया है ।
05. मै/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान : .....
तारीख : .....

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील

अनुलग्नक "स"

निविदा प्रकिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में हे तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व –अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया हैः

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वितिय बोली के मामले से सबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीध्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित हे तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितिय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।

   अर्थातः

   कः उपापन की आवश्यकता का अवधारण

   ख बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं

   घ. निबन्धनों में उपापन प्रकिया का रद्दकरण

   ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।

4. **अपील का प्रारूप**.– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

   (2)प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3)प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.–

(1)प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2)फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया.–**

(1)प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं. .....

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) ..... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :.....

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :.....

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

.....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना : .....

.....

.....

स्थान : .....

तारीख : .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर,सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.**– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.–

(1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.–**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील